



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27022026-270563
CG-MH-E-27022026-270563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1002]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 1002]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 1046(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) तारीख 13 नवम्बर, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. 756, का. आ. 842 (अ) तारीख 10 /11/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, बोरीवली-विरार रेलवे स्थानकों के दरम्यान पांचवी एव छठी रेलवे लाईन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमिका का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम कि धारा 20 क की उपधारा (4) के अधिन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक पुण्य नगरी", "दैनिक लोकसत्ता" व "हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) " में तारीख 18 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, उक्त गांव से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम कि धारा 20 ड कि उपधारा (1) के अनुसरण मे सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जित की जायेगी।

और, यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिला में तालुका वसई के अंतर्गत **दीवाणमान गाव में**, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, वसई के अधीन विशेष रेल परियोजना बोरीवली-विरार रेल्वे स्थानकों के दरम्यान पांचवी एवं छठी रेल्वे लाईन के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संश्लिष्ट विवरण।

अ.क्र.	गांव का नाम	भू मापण / गट / सर्वे नं.	7/12 संख्या नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	भूमि का प्रकार	भूमि रूप	संपादित क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	भूधारणा पद्धति	भूधारक का नाम
1	दीवाणमान	35/1	35/1	0.17.00	निजी	अकृषक	0.12.80	वर्ग 1	प्रेरणा अपार्टमेंट को. अपार्टमेंट है. सो. (भू मापन गट संख्या 35/1 से विशेष रेल परियोजना बोरीवली-विरार रेल्वे स्थानकों के दरम्यान पांचवी एवं छठी रेल्वे लाईन के लिये अर्जित किया गया भूमि का कुल क्षेत्र 0.17.00 हेक्टर है)
2.	दीवाणमान	41/ भु. क्र. / 6	41/ भु.क्र. / 6	0.08.28	निजी	अकृषक	0.08.15	वर्ग 1	अंकुर दर्शन को. अपार्टमेंट है. सो. (भू मापन गट संख्या 41/ भु. क्र. / 6 से विशेष रेल परियोजना बोरीवली-विरार रेल्वे स्थानकों के दरम्यान पांचवी एवं छठी रेल्वे लाईन के लिये अर्जित किया गया भूमि का कुल क्षेत्र 0.08.28 हेक्टर है)

[फा. सं. इ-25840-32]

मुकेश कुमार, मुख्य अभियंता (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th February, 2026

S.O. 1046(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), S. O. 842(E) dated the **10th November, 2025** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), No. 756 Dated 13/11/2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Borivali Virar - 5th & 6th Railway Line Project”** in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Daily Punya Nagari”, “Dainik Loksatta” and “Hindustan Times” Dated 18th November 2025 under sub section (4) of section 20 A of the said Act.

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed.

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project “Borivali Virar 5th & 6th Railway Line” in Village Diwanman and Navghar in Vasai Taluka by Competent Authority for Land Acquisition and Sub Divisional Officer’s Office, Vasai District Palghar in the State of Maharashtra:

Sr. No.	Name of the Village	City Survey No./ Survey No.	7/12 no.	Total area as per 7/12 Extract (Hec.)	Type of Land	Land Use	Acquired Area in Ha. Are. Sq.M.	Class of Land	Name of The Landowner
1	Diwanman	35/1	35/1	0.17.00	Private	Non agriculture	0.12.80	Class I	Prerana Apartment Co. Apartment Ho. So. (Note:- The total area of land acquired for the special railway project “5th and 6th railway line between Borivali-Virar Railway Stations” from City Survey Plot No. 35/1 is 00.17.00 hectares.)
2	Diwanman	41/ 6	41/ 6	0.08.28	Private	Non agriculture	0.08.15	Class I	Ankur Darshan Co. Apartment Housing Society (Note: - The total area of land acquired for the special railway project “5th and

Sr. No.	Name of the Village	City Survey No./ Survey No.	7/12 no.	Total area as per 7/12 Extract (Hec.)	Type of Land	Land Use	Acquired Area in Ha. Are. Sq.M.	Class of Land	Name of The Landowner
									6th railway line between Borivali-Virar Railway Stations” from City Survey Plot No. 41/C.S. No./ 6 is 0.08.28 hectares.)

[F. No. E. -25840-32]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (Construction)- I